भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *116 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 6 फ़रवरी, 2026/17 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है

पोत भंजन कार्य

† *116. डॉ. थोल तिरूमावलवन :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पोत भंजन कार्य से उत्पन्न होने वाली खतरनाक व्यवसाय-जनित और पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को देश में पोत भंजन उद्योग के कारण होने वाली लोगों की मौतों, उन्हें लगने वाली चोटों, उनके स्वास्थ्य संबंधी खतरों और कार्य-जनित रोगों की भी जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

“पोत भंजन कार्य" के संबंध में डॉ. थोल तिरूमावलवन द्वारा पूछे गए दिनांक 06.02.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *116 के उत्तर के भाग (क) और (ग) में संदर्भित विवरण

(क): जी, हाँ। सरकार इससे अवगत है कि पोतभंजन कार्य में व्यावसायिक, पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां सामने आती हैं।

(ख): इन चुनौतियों के कारण, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने मई, 2009 में सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण संबंधी हांगकांग कन्वेंशन (एचकेसी) को अपनाकर पोत पुनर्चक्रण कार्य से संबंधित इस वैश्विक मुद्दे को समाधान किया है। यह वैश्विक ढांचा यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि पोतों का पुनर्चक्रण करते समय मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए अनावश्यक जोखिम उत्पन्न न हो। भारत ने, पोत पुनर्चक्रण में मार्केट लीडर होने के नाते एचकेसी को स्वीकार किया और पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 को अधिनियमित किया, जो एचकेसी की अपेक्षाओं के अनुरूप है और साथ ही पोत पुनर्चक्रण नियम, 2021 भी बनाए जो 26 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किए गए थे। यह कन्वेंशन 26 जून, 2025 को लागू हुआ और इस तारीख से पुनर्चक्रित किए जा रहे सभी पोतों और पुनर्चक्रण सुविधाओं को एचकेसी के मानकों का अनुपालन करना अपेक्षित है। 12 जनवरी 2026 को पोत पुनर्चक्रण विनियम, 2026 अधिसूचित किए गए हैं।

अलंग-सोसिया शिप रीसाइक्लिंग यार्ड (एएसएसआरवाई), गुजरात में एक व्यापक विनियामक और अनुपालन ढांचा भी स्थापित किया गया है, जो भारत में सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण क्लस्टर है जहां पोत पुनर्चक्रण का 98 प्रतिशत कार्य किया जा रहा है। अलंग में अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण, पीपीई का उपयोग, गैस मुक्त प्रमाणन, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन, लेवल- III अभिघात केंद्र की उपलब्धता और गुजरात समुद्री बोर्ड, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) द्वारा निरंतर निगरानी की व्यवस्था है।

(ग): जी, हाँ। सरकार ने पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 के अनुसार हांगकांग कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण और सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित किया है। औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य समुद्री बोर्डों / राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा पोत पुनर्चक्रण कार्मिकों द्वारा सामना की जा रही मौतों, आकस्मिक चोटों, उनके स्वास्थ्य जोखिमों और कार्य-जनित रोगों की निगरानी की जा रही है। यह नोट करना प्रासंगिक है कि सुदृढ़

विनियमों, अवसंरचना के उन्नयन और प्रवर्तन से देश में इस उद्योग में कार्यस्थलों पर सुरक्षा में पर्याप्त सुधार हुआ है।
